विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम

छात्रवृत्ति योजना

निर्बल वर्गो का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इस तथ्य के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम योजना तथा कक्षा 10वीं से उपर की कक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति एवं इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा प्रबन्धन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस उनके विद्यालयों/संस्थाओं को सीधे विभाग द्वारा शुल्क की प्रति पूर्ति किये जाने की योजना संचालित की जा रही है जो समय–समय पर संशोधित होती रहती है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में नियोजन विभाग से निर्गत शासनादेश संख्या–874/35–4–2007 दिनॉक 22–6–2007 के द्वारा छात्रवृत्ति के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था लागू की गयी है।

पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय–सीमा प्रतिबंधित नही है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय–सीमा रू0 30000 प्रति वर्ष है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 25/– प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 अध्ययनरत छात्रों को रू0 40/– प्रतिमाह तथा कक्षा 9–10 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 60/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दर निर्धारित है। वर्ष 2009–10 में छात्रवृत्ति दो समान किश्तों में वितरित करने के निर्देश हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत रू0 423838.41 लाख व्यय कर 11803994 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनार्न्तगत वर्ष 2009–10 में रू0 45180.00 लाख का बजट प्राविधान है।

पूर्वदशम सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों, जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रू0 19884/– (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रू0 25546/– (शहरी क्षेत्र) हो, को उपर्युक्त दर पर कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 25/– प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 अध्ययनरत छात्रों को रू0 40/– प्रतिमाह तथा कक्षा 9–10 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 60/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दर निर्धारित है। वर्ष 2009–10 में छात्रवृत्ति दो समान किश्तों में वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत रू0 17942.10 लाख व्यय कर 4693157 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनान्र्तगत वर्ष 2009–10 में रू0 17664.00 लाख का बजट प्राविधान है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

कक्षा 10 के ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रू0 1,00,000/– तक के हैं, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू0 14351.63 लाख व्यय कर 813810 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है तथा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू0 13664.19 लाख व्यय कर 753095 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनान्र्तगत वर्ष 2009–10 में रू0 53543.42 लाख का बजट प्राविधान है।

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया 1,00,000/– से अधिक न हो, को 4 श्रेणियों में बॉटते हुये निम्नानुसार आवासीय एवं अनावासीय दरों पर छात्रवृत्ति की सुविधा देय है।

क0सं0	श्रेणी	दरें	
		आवासीय	अनावासीय
1.	श्रेणी–1	रूपया 740/– प्रतिमाह	रूपया 330/– प्रतिमाह
2.	श्रेणी–2	रूपया 510/– प्रतिमाह	रूपया 330/– प्रतिमाह
3.	श्रेणी–3	रूपया 355/– प्रतिमाह	रूपया 185/– प्रतिमाह
4.	श्रेणी–4	रूपया 235/– प्रतिमाह	रूपया 140/– प्रतिमाह

श्रेणीवार पाठ्यक्रम का विवरण निम्नवत् है:–

श्रेणी:–1

औषधि (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबन्धन, बजनेस, वित्त, प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग, वाणिज्यिक पाइलेट लाइसेंस (हेलीकाप्टर पायलेट तथा मल्टी इंजनरेटिंग) पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम (एम0फिल0 पी0एच0डी0 तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित)

श्रेणी:–2

श्रेणी–1 में शामिल न किये गये अन्य व्यवसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम0फिल0 पी0एच0डी0 तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी0ए0, आई0सी0 डब्लू0ए0/सी0एस0 आदि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाणपत्र स्तरीय पाठ्यक्रम।

श्रेणी:–3

स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो श्रेणी–1 तथा 2 में शामिल नहीं किये गये हों)

श्रेणी:–4

श्रेणी–2 व 3 में शामिल न किये गये 10 प्लस 2 पद्धति में कक्षा 11 एवं 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे स्नातक करने से पूर्व सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिये न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो।)

शुल्क प्रतिपूर्ति

1. अनुसूचितजाति के छात्रों को प्रवेश शुल्क (नानरिफन्डेबल शुल्क) की धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

2. सामान्य वर्ग के छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया 1,00,000/– तक है, को शासकीय शिक्षण संस्थाओं/ शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये निर्धारित अनिवार्य प्रवेश शुल्क (नानरिफडेबल शुल्क) की प्रतिपूर्ति की जाती है अर्थात सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र जो किसी गैर सहायता प्राप्त/निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उन्हें केवल शासकीय शिक्षण संस्थाओं/शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित देय प्रवेश शुल्क (नानरिफंडेबल शुल्क) की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इस हेतु आय–सीमा का कोई प्रतिबन्ध नही है।

डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन निधि से विशेष छात्रवृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल व इण्टर की माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के 100–100 छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अगले पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु रू0 250/– मासिक दर से 10 माह हेतु कुल रू0 2500/– वार्षिक तथा इण्टर परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर अगले पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु रू0 350/– मासिक दर से 10 माह हेतु कुल रू0 3500/– वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है।